

## न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 06/2022 सुपुर्दगीनामा

मुरसलीम पुत्र आजम निवासी सहशान तहसील पहाडी जिला भरतपुर जरिये मुख्यारआम राशिद पुत्र इस्राईल जाति मेव मुसलमान निवासी 48, भोन्ड तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा

...प्रार्थी



बनाम

सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 395/2021 पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा जुर्म दफा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995

उपस्थित: 1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष  
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक: 15.02.2022

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को तीन गायें व एक बछडा भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को अभियोग संख्या 395/2021 धारा 3, 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त कर लिया गया। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा उक्त जब्तशुदा वाहन को सुपुर्द किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता के मार्फत पुलिस थाना रामगढ पचवारा से केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को तीन गायें व एक बछडा भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 को राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 की धारा 3,5,8 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त गोवंश पशुधन को प्रार्थी द्वारा लालसोट से खरीद कर वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 8249 में भरकर अन्यत्र ले जा रहे थे। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्तशुदा उक्त वाहन थाने में खडा-खडा खराब हो रहा है। वाहन के खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। अब उक्त वाहन की पुलिस को अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना रामगढ पचवारा

द्वारा जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे ०५ जीबी ८२४९ बोलेरो पिक अप को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा वाहन संख्या आरजे ०५ जीबी ८२४९ पिक अप को अभियोग संख्या ३९५/२०२१ में राजस्थान गोवंश अधिनियम १९९५ के अंतर्गत दिनांक २८.१२.२०२१ को जब्त किया गया था। पैरोकार सरकार द्वारा यह भी दलील दी कि थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे ०५ जीबी ८२४९ को गो वंश तीन गायें व एक बछड़े का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप आरजे ०५ जीबी ८२४९ के वाहन स्वामी से अभी अनुसंधान किया जाना शेष है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया गया। न्यायालय की पत्रावली एवं पुलिस थाना रामगढ पचवारा की केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक २८.१२.२०२१ को जुर्म धारा ३, ५, ८ राजस्थान गो वंश अधिनियम १९९५ के अंतर्गत ०३ गायें एवं ०१ बछड़े मय पिक अप वाहन संख्या आरजे ०५ जीबी ८२४९ को जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या ३९५/२०२१ दर्ज की गई। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के वाहन स्वामी से अनुसंधान किया जाना शेष है। साथ ही प्रकरण में थाना रामगढ पचवारा द्वारा अभी तक न्यायालय में चार्जशीट भी पेश नहीं की गई है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्त उक्त वाहन के वाहन स्वामी से प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष होने के कारण हम जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज किया जाता है। पुलिस केस डायरी निर्णय की प्रति के साथ पुलिस थाना रामगढ पचवारा को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



( कमर चौधरी )

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक १५.०२.२०२२ को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

( कमर चौधरी )

जिला कलेक्टर, दौसा

